

राजस्थान सरकार
दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर (DMIC) विभाग


अधिसूचना

जयपुर, 22 फरवरी, 2018

एफ. सं. 15(3)/डीएमआईसी/विविध/2016/वि.वि.री. अधिनियम/2016:-राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम सं. 13) की धारा 9 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन घोषित विशेष विनिधान रीजन, भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप (भि.इं.टा.), के लिए इसके द्वारा भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (भि.इं.वि.प्रा.) का गठन करती है। भि.इं.वि.प्रा. का मुख्यालय भिवाड़ी, जिला अलवर में होगा। भि.इं.वि.प्रा. निम्नलिखित से मिलकर गठित होगा, अर्थात् :-

1.	प्रभारी मंत्री, दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर विभाग, राजस्थान सरकार	अध्यक्ष
2.	लोक सभा सदस्य, अलवर	सदस्य
3.	राजस्थान विधानसभा सदस्य, मुण्डावर, अलवर	सदस्य
4.	राजस्थान विधानसभा सदस्य, बहरोड, अलवर	सदस्य
5.	राजस्थान विधानसभा सदस्य, किशनगढ़बास, अलवर	सदस्य
6.	राजस्थान विधानसभा सदस्य, तिजारा, अलवर	सदस्य
7.	दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर विभाग का प्रभारी सचिव या उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त/उप शासन सचिव की रैंक से नीचे का न हो	सदस्य
8.	दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर विभाग का आयुक्त या उसका प्रतिनिधि जो अपर आयुक्त की रैंक से नीचे का न हो	सदस्य
9.	प्रबंध निदेशक, रीको या उसका प्रतिनिधि (जो सलाहकार की रैंक से नीचे का न हो)	सदस्य
10.	जिला कलेक्टर, अलवर	सदस्य
11.	जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर	सदस्य
12.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर	सदस्य
13.	अतिरिक्त मुख्य अभियंता (एन सी आर), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अलवर	सदस्य
14.	क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलवर	सदस्य
15.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाये	सदस्य- सचिव

राज्यपाल के आदेश से,


(राजीव सार्दा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

1. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना आज ही असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रस्तुत है। अधिसूचना की 10 प्रतियां उद्योग (ग्रुप-1) विभाग शासन सचिवालय को एवं 20 प्रतियां प्रकाशन के बिल के साथ डी.एम.आई.सी विभाग उद्योग भवन को भिजवावें।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, उद्योग एवं डी.एम.आई.सी, राजस्थान।
4. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, माननीय सदस्य लोक सभा क्षेत्र अलवर, राजस्थान।
6. निजी सचिव, माननीय सदस्य, राजस्थान विधानसभा क्षेत्र मुण्डावर, अलवर
7. निजी सचिव, माननीय सदस्य, राजस्थान विधानसभा क्षेत्र बहरोड, अलवर
8. निजी सचिव, माननीय सदस्य, राजस्थान विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़बास, अलवर
9. निजी सचिव, माननीय सदस्य, राजस्थान विधानसभा क्षेत्र तिजारा, अलवर
10. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त, राजस्थान जयपुर।
11. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
12. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग एवं डी.एम.आई.सी, राजस्थान जयपुर।
13. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, रीको, राजस्थान जयपुर।
14. निजी सचिव, आयुक्त, डी.एम.आई.सी, राजस्थान।
15. निजी सचिव, आयुक्त, उद्योग, राजस्थान, जयपुर।
16. निजी सचिव, आयुक्त, निवेश एवं अप्रवासी भारतीय (बी. आई. पी.), राजस्थान, जयपुर।
17. जिला कलेक्टर, अलवर।
18. शासन उप सचिव, उद्योग (ग्रुप -1) विभाग, राजस्थान।
19. उपखण्ड अधिकारी, बहरोड़, नीमराना, मुण्डावर, कोटकासिम, तिजारा।
20. जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर।
21. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर।
22. सचिव, नगर सुधार न्यास, भिवाड़ी, अलवर।
23. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (एन. सी. आर.), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अलवर।
24. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलवर।
25. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव